

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्रांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4226-J.S.P. Mahavidyalay

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-१ दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

कायालिप,
सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश तथा नू. ।

v3

संख्या:- प्राचिपनरिवट संख्या/2022/11263

सत्रानंद: दिनांक: 27-11-2022

-अधिकारी द्वारा दिया गया-

कार्यसी बाड़मिस्त्र और इनिषिएटा, नई टिस्टी द्वारा ऐडिक्ट सत्र 2022-23 हेतु दिल्लीया इन कार्यसी पाठ्यक्रम हेतु अनुबोधन प्रदान किए जाने के उपरांत आविधिक लिखा परीक्षण, उत्तमता समझौता से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27-12-2022 को विराग बलवानीय वे तथ्यद्वारा संविति की वेटक संपर्क हुई। वैठक में संविति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु पी.सी.आई. द्वारा नई टिस्टीका इन कार्यसी संस्थाओं को प्रदत्त अनुबोधन के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

यम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये निर्याप के अनुसार वे निम्न लोकान् वो प्राधिकारिक शिक्षा वरिष्ठ, 30 प्रति नव्वनक द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु नियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अनियंत्र प्रवेश कामता हेतु यम्बद्धता ब्रदान भी जारी है।

संस्था का कोड एवं नाम:- 4226, वैष्णवी महाविद्यालय (दीर्घार्थ), कलापा कला, सीनमढा।			
कोड	पाठ्यक्रम का नाम	वीठी जारी हुआ वार्ष 2022-23 देश अनुसारित प्रोग्राम वार्षिकी	वरिष्ठ छारा वार्ष 2022-23 हेतु अनुसारित प्रवेश वार्षिकी
1	हिन्दीमा इन क्लासेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु याते-

- ✓ गोस्थामी०प्र०जा०इ० द्वारा निर्णयित वीची घटने का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ गोस्थामी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा जीवितिक शिक्षा परिषद विनियमबाबासी 1992, विनियमबाबासी-2000, सेमेस्टर विनियमबाबासी-2016 तथा इमार-समय पर निर्णय लाभनाडेशो का अनुसालन कराए तथा युवक निर्णयित द्वारा निर्णयित युवक ही प्रत्येक शाश्वतत्वाने ने प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकार लाभनाडेशो गे युवक हे सम्बन्ध मे समाज-समय पर लाभन द्वारा निर्णय दिये जाने वाले लाभनाडेश वाहाबी होगे, और उद्युक्त वाहाबाही किया जाना यज्ञवल्यक होगा। कील निर्णयित लाभन यज्ञवल्य का अनुसालन का युवनियादेश किया जाता है, तो फिर की उन्नीनतम दौर लाग गो।
 - ✓ गोस्थामी ने युवक प्रबन्ध परीक्षा परिषद द्वारा वाचिक लाभनों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
 - ✓ तेजवा को समाज-समय पर निर्णय लाभनाडेश के अनुगाम निरीक्षण एवं सम्बद्धता युवक जाया जावाया होगा।
 - ✓ गोस्थामी उत्तर प्रदेश लाभन द्वारा बनाये गए विधिविवरणोंहीनिवेदनलाभनाडेशो/निवेदो एवं निवेदक, वाचिक शिक्षा, उत्तर, गोस्थामी यज्ञवल्य परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश वाचिक शिक्षा परिषद, ३०३० द्वारा बनाये गए विषयों, विनियमों, आदेशों, निवेदों का पालन करते हे जिये वाचाकारी है।
 - ✓ यज्ञवल्यानों का वी०प्र०जा०इ० से अनुपोदन लिप्ति किया जाता है तो इस संबंध मे समरूप उत्तरदायित्व सम्बन्ध या होगा और विधिक रूप मे विनी भी वाचाकारी के लिए तेजवा स्वयं उत्तरदायी होगी। वाचिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रबन्ध परीक्षा परिषद, वाचिक शिक्षा निवेदनलाभ एवं वाचिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लाभन के विशेष यज्ञवल्य कोई नाइ दावर किया जाता है ताका दावर याद के संबंध मे भा. न्यायालय द्वारा किनी प्रकार की प्रतिपुर्ति लाभानी लाभेता निर्णय विषया जाता है तो सभाल प्रतिपुर्ति संबंधित सम्बन्ध को करनी होगी।
 - ✓ गोस्थामी को संयुक्त प्रबन्ध परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लाभनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रबन्ध परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व वी०प्र०जा०इ० से अनुपोदन प्राप्त कर परिषद कावासिक वो उपसम्बन्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के भाष्यम से प्रक्रम परीक्षा के आधार परमीये प्रबन्ध) अनुमति प्रदान नहीं भी जावेगी।

१४०८